फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

छीतर बनाम तेजा वगैरह

मुकदमा नम्बर :– 43/2021 वाद

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 10/2/25 | प्र.क. प्राप्त/ तहसीलदार चौमू की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली किया गया/ पत्रावली एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया/ मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमू खसरा नम्बर 6278/8607 के फ्लैट्स मौके बेचान कर दिया गया था/ मौके पर क्रेतागण के दुकान बनी हुई है खसरा नम्बर 6278/8607 के मौके पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है तथा खसरा नम्बर 6294 में भी सह-खातेदारान द्वारा कृषि कार्य होना नहीं बताया गया/ वादीगण के फरीकान प्रस्ताव तैयार नहीं करते की रिपोर्ट/ बाबत [illegible] के इश्तहार जिसको देखते हुए पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है/ ऐसे में वादी का वाद शेष खसरा नम्बर पर पुनः वाद लाने की छूट के साथ इसी स्तर पर खारिज किया जाता है/ निर्णय पृथक से लिखवाकर शामिल पत्रावली किया गया/ डिक्री पर्चा जारी हो/ पत्रावली [illegible] रिकॉर्ड रूम नम्बर से जमा हो तथा दाखिल दफ्तर हो/ | |

[signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

(फास्ट [illegible]) चौमू जयपुर ([illegible])

# न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला—जयपुर
## पीठासीन अधिकारी :—कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:—43/2021

**उनवान**

छीतर पुत्र मोहरु जाति अहीर, निवासी ढाणी देवीकाथान, ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी—

**बनाम**

1. तेजा उर्फ तेजपाल पुत्र मोहरु
2. प्रभूदयाल पुत्र मोहरु
3. सुरजा पुत्र मोहरु
4. गोपाल पुत्र मोहरु
5. सोनी पत्नी मोहरु
   समस्त जाति अहीर, निवासी ढाणी देवीकाथान, ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण—

## दावा बाबततकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
## अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
## निर्णय

दिनांक :—10.02.2025

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया हैकि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की शामलाती कृषि भूमि वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली—ए, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में नया खाता संख्या 144 के आराजी खसरा नम्बर 6129 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 6130 रकबा 0.46 है0,खसरा नम्बर 6131 रकबा 1.41 है0,खसरा नम्बर 1691 रकबा 0.48 है0,खसरा नम्बर 6192/8606 रकबा 0.93 है0,खसरा नम्बर 6278/8607 रकबा 0.08 है0,खसरा नम्बर 6314/8485 रकबा 0.12 है0,खसरा नम्बर 6314/8608 रकबा 0.43 है0 कुल किता 8 का कुल रकबा 3.85 है0 व नया खाता संख्या 743 के आराजी खसरा नम्बर 6294 रकबा 0.08 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.08 है0 स्थित है। यही भूमियां ही बाद पत्र में विवादग्रस्त आराजीयात है। भूमियां विवादग्रस्त नया खाता संख्या 144 में वादी का खातेदारी हिस्सा 1/6 भाग, नया खाता संख्या 743 में वादी का खातेदारी हिस्सा 1/6 भाग दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की शामलाती कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

भूमि है। जिनका विधिवत् कानूनी विभाजन नहीं किया गया है। उक्त विवादित आराजीयात में वादी मनबंट के अनुसार बांट रखा है तथा काबिज काश्त होकर प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा राज्य सरकार को लगान अदा करते चले आ रहे है। वादी द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कहा कि उक्त शामलाती कृषि भूमि का विधिवत् तकासमा करवा कर पृथक से स्वयं के नाम अलग–अलग पर्चा लगान कायम करवा लेवें तथा मनबट से बांटे अनुसार काबिज के हिसाब से शामलाती कृषि भूमि का विधिवत् तकासमा करवा कर पृथक से स्वयं के नाम अलग–अलग पर्चा लगान कायम करवा लेंवे तथा मनबट से बांटे अनुसार काबिज के हिसाब से शामलाती कृषि भूमि का बंटवारा हो जावें परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 हमेशा ही वादी की उक्त बात को नजर अन्दाज करते रहें है क्योंकि उनकी नियत बदल गई और भूमि को अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण एवं विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण करने पर आमादा हो गयें व वादी के उपयोग उपभोग करने में दखलन्दाजी करने लगें तथा वादी को उनके हक हिस्से की भूमि में बा–जोत नहीं करने देते और आये दिन लडाई झगडा करते रहते है एवं वादी के हक हिस्से की भूमि में जबरन दखलन्दाजी करते रहते है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की नियत में खोट आ जाने के कारण वो उक्त शामलाती कृषि भूमि को बिना तकासमा करवायें, विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य मौके पर करने की नियत से कार्यवाही करने लगे व अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा हो गयें और मौके पर अजनबी व्यक्तियों को लाकर भूमि बेचान, हस्तानान्तरण करने के लिए दिखाने लगे, तथा शामलाती कृषि भूमि में निर्माण कार्य करने पर आमादा है और वादी के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करते है। दिनांक 22.06.2021 को वादी व उसके परिवारजनों के साथ में प्रतिवादीगण द्वारा गम्भीर मारपीट भूमि पर आकर की गई जिसकी पृथम सूचना रिपोर्ट संख्या 207/2021 पुलिस थाना गोविन्दगढ में इनके विरुद्ध दर्ज करवाई है। वादी व उसके परिवारजन को अनावश्यक ही हैरान परेशान किया जा रहा है। दिनांक 21.07.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा एकराय होकर वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बिना तकासमा करवाये ही जबरिया लठ के बल पर कब्जा कर वादी को बेदखलकरने व विवादित भूमियों को बेचान, हस्तान्तरण करने की धमकी दी गई है। जिस कारण वादीगण को उक्त वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद पत्र में वर्णित शामलाती विवादग्रस्त कृषि भूमि का मौके पर विद्यमान कब्जे काश्त के आधार पर तकासमा किया जाकर नया खाता संख्या 144 में वादी का खातेदारी 1/6 भाग, नया खाता संख्या 743 में वादी का खातेदारी हिस्सा 1/6 भाग को पृथक से तकासमा (बंटवारा) करके पृथक से पर्चा लगान कायम करवायें। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण शालिम डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध फरमाया जावें कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:34:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि का बिना विधिवत् तकासमा (बंटवारा) करवायें किसी भी विशिष्ठ भू—भाग का बेचान हस्तानान्तरण, रहन अन्य दीगर व्यक्तियों को न ही करें, ना हीं विशिष्ट भू—भाग पर कोई निर्माण सामग्री डालें, ना ही मौके पर नींव खोदे, पत्थर डाले, ना ही निर्माण कार्य ही करें, तथा वादी के हिस्से की कृषि भूमि में वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, ना ही मौका स्थिति में परिवर्तन करें, ना ही जोर—जबरदस्ती से बेदखल करें, ना ही वादी के हक हिस्से में लगे वृक्षों को कांटें, प्रतिवादीगण संख्या 6 को इस कदर पाबन्ध फरमाया जावें कि उक्त आराजीयात् के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेख पत्र, विक्रय पत्र तस्दीक नहीं करें, प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 उक्त के सम्बन्ध में राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं करें उक्त कार्यवाही ना ही तो स्वयं करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमेन के जरियें करवायें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व अन्य सहखातेदार का कब्जा काश्त है व किसी भी प्रकार से बेचान, हस्तान्तरण या विशिष्ठ भू—भाग पर निर्माण कार्य करने पर आमादा नहीं है। वादी ही लडाई झगडा करता है एवं बेचान करने पर आमादा है। वादी इरादतन जानबूझकर प्रतिवादीगण को हैरान परेशान कर रहा है एवं स्वयं वादी अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 सह खातेदार काश्तकार है अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने के हक अधिकारी है एवं अपने हक हिस्से में लगे पेड, पौधों व अन्य सम्पति की रक्षा करने के हक अधिकारी है इसलिये सहखातेदार को राजस्व रिकॉर्ड हिस्से अनुसार पाबन्द करवाने का वादी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 21.07.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने वादी को कोई धमकी नहीं दी है ना ही अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान करने पर आमादा है। बिना वाद कारण उत्पन्न हुये ही वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार चौमूं के मौका निरीक्षण करने पर पाया गया की खसरा नम्बर 6278/8607 में जरिये रजि0 बेचान कर दिया गया था। मौके पर क्रेतागण ने दुकान बना रखी है। खसरा नम्बर 6278/8607 में मौके पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है। तथा खसरा नम्बर 6294 में भी सह—खातेदारान द्वारा कब्जा काश्त होना नहीं बताया गया। तहसीलदार ने [illegible] प्रस्ताव तैयार नहीं करने बाबत् सहमति के हस्ताक्षर भी किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादी का वाद तकासमा एवं स्थाई निषाधाज्ञा का है, लेकिन विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 6278/8607 जरिये रजि0 बेचान कर दिया गया

सहायक कलेक्टर
चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

था। मौके पर क्रेतागण ने दुकान बना रखी है। खसरा नम्बर 6278/8607 में मौके पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग होने से उक्त भूमि का तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में वादी का वाद अस्वीकार कर शेष खसरा नम्बर पर पुनः वाद लाने की छूट के साथ इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

# डिक्री मुकददमा इब्तदाई

## (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–43/2021

उनवान

छीतर पुत्र मोहरु जाति अहीर, निवासी ढाणी देवीकाथान, ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. तेजा उर्फ तेजपाल पुत्र मोहरु
2. प्रभूदयाल पुत्र मोहरु
3. सुरजा पुत्र मोहरु
4. गोपाल पुत्र मोहरु
5. सोनी पत्नी मोहरु
   समस्त जाति अहीर, निवासी ढाणी देवीकाथान, ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

## दावा बाबततकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

### अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–43/2021

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 6278/8607 जरिये रजि0 बेचान कर दिया गया था। मौके पर क्रेतागण ने दुकान बना रखी है। खसरा नम्बर 6278/8607 में मौके पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग होने से उक्त भूमि का तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में वादी का वाद अस्वीकार कर शेष खसरा नम्बर पर पुनः वाद लाने की छूट के साथ इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

निजी ..........मबलिक ............... बाबत .............. खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....... ............................ फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबीय तक ........ को अदा करें।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूँ जयपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0—43 / 2021
उनवान—छीतर बनाम तेजा उर्फ तेजपाल वगै0
निर्णय दिनांक—10.02.2025

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 10.02.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ........

ओहदा..........

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं जयपुर (ग्रामीण)

## वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. स्टाम्प अर्जी दावा<br>2. स्टाम्प वकालतनामा<br>3. स्टाम्प वजह सबूत<br>4. महन्ताना वकील<br>5. खर्चा गवाहन<br>6. फीस कमिश्नर<br>7.बाबत इजराय हुक्मनामा<br>8.मुतफरिक | 2<br>1 | 1. स्टाम्प अर्जी दावा<br>2. स्टाम्प वकालतनामा<br>3. महन्ताना वकील<br>4. खर्चा गवाहन<br>5. फीस कमिश्नर<br>6.बाबत इजराय हुक्मनामा<br>7.मुतफरिक | 2 |
| जोड़ | 3 | जोड़ | 2 |

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं जयपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner